अध्याय XX : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण वोर्ड

20.1 भूमि के अतिक्रमण के कारण ₹1.40 करोड़ का निष्फल व्यय

स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु 1990 में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी.) द्वारा खरीदी गई भूमि के अतिक्रमण का समाधान करने में एन.सी.टी. दिल्ली सरकार की पहल का अनुसरण करने में सी.एस.डब्ल्यू.बी. विफल रहा, जिसके कारणवश अब तक किया गया ₹1.40 करोड़ का पूरा व्यय निष्फल हो गया।

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी.), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (मंत्रालय) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय ने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) से वसंत कुंज, नई दिल्ली में ₹18 लाख की लागत पर मार्च 1990 में तीन एकड़ भूमि प्राप्त की थी।

सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने चारदीवारी के निर्माण के लिए दिसम्बर 1990 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) को ₹2.58 लाख जारी किए थे और स्टाफ क्वार्टरों[1] के निर्माण हेतु मार्च 1991 और मार्च 1993 के बीच ₹55 लाख के अग्रिम का भुगतान किया था। जबकि चारदीवारी का निर्माण पूरा हो चुका था, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण शुरू नहीं हो सका था क्योंकि 1994 में झुग्गी में रहने वाले लोगों द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था।

मार्च 2001 में, सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने झुग्गियों को हटवाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी) के पास ₹46.60 लाख जमा किए थे। सितम्बर 2009 में, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) सरकार ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को फ्लेट आवंटित करने का निर्णय लिया, और अप्रैल 2012 में, एन.सी.टी. दिल्ली सरकार पुनर्वास शाखा ने सूचित किया कि 142 झुग्गी में रहने वाले लोगों की योग्यता सूची पर हस्ताक्षर हो चुके थे और सी.एस.डब्ल्यू.बी. को अपने हिस्से के रूप में ₹1.06 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने सी.एस.डब्ल्यू.बी. से एन.सी.टी. दिल्ली के

---

[1] अक्तूबर 1993 में परियोजना की लागत ₹7.84 करोड़ अनुमानित थी।

हिस्से और एम.सी.डी. के पास जमा हो चुकी राशि पर ब्याज की स्थिति का भी पता लगाने के लिए कहा (नवम्बर 2013)। सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने तब तक मामले का आगे अनुसरण नहीं किया था जब तब लेखापरीक्षा ने अभ्युक्ति नहीं प्रस्तुत की थी, जिसके पश्चात् सितम्बर 2015 में सी.एस.डब्ल्यू.बी. एन.सी.टी. दिल्ली सरकार से मिला। आज तक, सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने संपत्ति पर ₹1.40 करोड़[2] का व्यय किया है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने मार्च 2003 के बाद से भूमि की सुरक्षा पर व्यय नहीं किया है। सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने भूमि की स्थिति पर विश्वासप्रद उत्तर प्रदान नहीं किया है, इस बात को दोहराने के अलावा (सितम्बर 2015) कि भूमि का अतिक्रमण हुआ है और उसने झुग्गियों को हटाने के लिए कई प्रयास किए थे परंतु विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया के कारण, यथास्थिति बनी हुई थी। सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने यह भी बताया (जनवरी 2016) कि उसने झुग्गियों को हटाने के लिए सी.एस.डब्ल्यू.बी./भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच व्यय के हिस्से से संबंधित जानकारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा था।

तथ्य यही है कि एन.सी.टी. दिल्ली सरकार के पुनर्वास शाखा के झुग्गी में रहने वाले लोगों के साथ अप्रैल 2012 में भूमि खाली करने के लिए अनुबंध करने पर भी, सी.एस.डब्ल्यू.बी. मंत्रालय के प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहा और इस प्रकार अनुबंध को कार्यान्वित करने में विफल रहा। इस प्रकार, मंत्रालय की निष्क्रियता और सी.एस.डब्ल्यू.बी. द्वारा झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास देने में एन.सी.टी. दिल्ली की पहल पर कार्य न करने के परिणामस्वरूप 25 वर्षों से भी पहले प्राप्त भूमि पर स्टाफ क्वार्टरों को प्रदान करने में विफलता प्राप्त हुई और इसके कारण ₹1.40 करोड़ का निष्फल व्यय भी हुआ।

मंत्रालय को मामले की सूचना दी गयी थी (अक्तूबर 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

---

[2] भूमि की लागत ₹18 लाख, सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम ₹55 लाख चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹2.58 लाख, अतिक्रमण को हटाने के लिए एम.सी.डी. को ₹46.60 लाख तथा भूमि की सुरक्षा पर ₹18.24 लाख।